दिनांक 06.04.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ निगम क्षेत्र में दुषित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने आयुक्त के0एल0 चौहान ने छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में प्रावधानित धाराओं का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण निगम क्षेत्र के होटल, ठेलों तथा बाजारों की जांच हेतु दल का गठन किया है। टीम के सदस्य ए.के. शर्मा, व्ही.के. सैमुवल, यशवंत चतुर्वेदी, जगरनाथ कुशवाहा, पवन मिश्रा, महेश पाण्डेय, महेश मिश्रा, अजय शुक्ला, रामायण सिंह, विनोद शुक्ला, धन बहादूर सोनी, अशोक कन्नौजिया, राजेश गुप्ता, पुनित बंजारे, संतुलाल, के.राजू होंगे।

प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा के मार्गदर्शन में गठित दल छापामार कार्यवाही कर होटल, ठेलों, खोमचे, बाजार में विक्रय किये जा रहे द्रुषित खाद्य पदार्थों का तथा अनाधिकृत रुप से चौक–चौराहों पर विक्रय किये जा रहे मांस, मटन व मछली को जब्त कर विनिष्टीकरण करेंगे। आयुक्त ने नगर के होटल, ठेला, फल, मांस मटन, मछली विक्रेताओं से कहा है कि आम नागरिकों के सेहत को ध्यान में रखकर तथा मौसमी बिमारियों के बचाव के लिए अपने प्रतिष्ठान व दुकान में द्रुषित खाद्य पदार्थों का विक्रय न करें, तथा खुले में मांस, मटन व मछली बेचना प्रतिबंधित है। बेचते पाये जाने पर विनिष्टीकरण की कार्यवाही के साथ नगर पालिक निगम अधिनियम के अंतर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही भी हो सकता है।

जन सम्पर्क विभाग